उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-75/2018/48अ0मु0स0/92-2-2018-132(जांच)/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 10 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान अनुबन्ध गठन की कार्यवाही में बरती गयी अनियमितताओं तथा वित्तीय नियमों का पूर्णत: पालन नही किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-100/2017/689/92-2-17-132(जांच)2016, दिनांक 22.06.2017 द्वारा श्री डी0 डी0 पाठक, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1737/92-2-2017-132(जांच)/2016, दिनांक 18-10-2017 द्वारा श्री डी0डी0 पाठक के विरूद्ध अनुमोदित अरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या 01 माह में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री डी0डी0 पाठक को दिनांक 07-11-2017 को तामील कराया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 11-01-2018 को बचाव उत्तर जांच अधिकारी को प्रेषित किया गया।

3- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के पत्र दिनांक 31.01.2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। अपचारी अधिकारी के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-381/92-2-2018-132(जांच)/ 2016, दिनांक 13.02.2018 द्वारा श्री पाठक को अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो उनके पत्र दिनांक 23.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा अपने बचाव उत्तर में जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया था। अत: अपचारी अधिकारी श्री डी0डी0 पाठक, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर द्वारा की गयी प्रक्रियात्मक त्रुटियां यथा टी0ए0सी0 को अभिलेख उपलब्ध कराने में किये गये विलम्ब तथा तुलनात्मक विवरण तैयार करने एवं अनुबंध गठन में वित्तीय नियमों का पालन न करने के लिए उन्हें "परिनिन्दा" का दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-100/2017/689/92-2-17-132(जांच)2016, दिनांक 22.06.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-75/2018/48अ0मु0स0(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री डी0 डी0 पाठक, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।